प्रतिलिपि आदेश दिनांक 29–2–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक अपील 700–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–7–15 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 316/अ–21/13–14.

———

दशरथ प्रसाद गौड पिता सोनूलाल गौड
निवासी ग्राम बरबटी तहसील व जिला
जबलपुर ——— आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

संदीप सिंह ठाकुर पिता श्री किशनसिंह ठाकुर
निवासी 659 डॉ0 भंडारी अस्पताल के पीछे
तहसील व जिला जबलपुर ——— अनावेदक

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 700-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-2-16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 316/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-7-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 20-7-15 के विरूद्ध पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक ने जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया उस समय उनके अधिवक्ता ने बताया था कि सभी पेशियों पर उनकी उपस्थित आवश्यक नहीं हैं वह पेशियों पर उपस्थित होकर आगामी कार्यवाही करेंगे और जब आवश्यक होगी तब अपीलार्थी को पेशियों पर बुलायेंगे । आवेदक ने अधिवक्ता की बातों पर विश्वास कर लिया । अधिवक्ता की गलती या चूक के लिए पक्षकार का अहित नहीं होना चाहिए यह विधि का सिद्धांत है । यह भी कहा गया कि जिस तिथि को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है वह पेशी रीडर द्वारा दी गई है, राजस्व मंडल द्वारा अनेक निर्णयों में यह कहा गया है कि रीडर द्वारा दी गई पेशी न्यायालय द्वारा दी गई पेशी नहीं मानी जा सकती और उस दिनांक को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है । उकत आधार पर उन्होंने विलंब क्षमा किए जाकर प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति का अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए विलंब के आधार सद्भाविक बताए जाने से विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम पड़रिया पटवारी हल्का नंबर 63 रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर क्रमशः 159/2, 162/2 एवं 163/2 रकबा क्रमशः 0.270, 0.790 एवं 1.220 हैक्टर कुल रकबा 2.280 हैक्टर भूमि को प्रत्यर्थी संदीप सिंह ठाकुर को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार,बरगी को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । प्रश्नाधीन भूमि मुख्य सड़क से 14 कि.मी. तथा ग्राम सड़क से 2 किलोमीटर दूर है । अपीलार्थी को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से अपीलार्थी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम पड़रिया पटवारी हल्का नंबर 63 रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर क्रमशः 159/2, 162/2 एवं 163/2 रकबा क्रमशः 0.270, 0.790 एवं 1.220 हैक्टर कुल रकबा 2.280 हैक्टर भूमि को प्रत्यर्थी संदीप सिंह ठाकुर को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 700-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । **अपील** तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	